राष्ट्रीय संस्करण www.jagran.com
दैनिक जागरण
शुक्रवार 5 अप्रैल 2019

3.5 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, यदि देश के पांच करोड़ सर्वाधिक गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये देने की व्यवस्था की जाएगी।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता,
भारतीय जनता पार्टी

gopal.agarwal
@bjp.org

आजकल

कांग्रेस पार्टी और उसका राफेल भ्रम!

राफेल विमानों की खरीद प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय क्लिनचीट दे चुका है। इस सौदे से संबंधित फाइल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उपलब्ध करवाई गई है और कैग रिपोर्ट को संसदीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि इस रक्षा खरीद सौदे में सभी उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। ऐसे में इन विमानों की खरीद प्रक्रिया पर कांग्रेस द्वारा लगातार किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार का आरोप लगाना सही नहीं है

राफेल लड़ाकू विमान सौदे के पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का रवैया राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी उपेक्षा और राष्ट्रीय हितों पर निजी हितों की प्राथमिकता को दर्शाता है। राफेल सौदे का राजनीतिक विरोध करने में कांग्रेस ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि भारतीय वायु सेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन आधुनिक विमानों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि मौजूदा बहुत से विमानों को वायु सेना ने सेवा से बाहर करने का निर्णय ले लिया है। हाल में भारतीय वायु सेना और पाकिस्तान वायु सेना के बीच नियंत्रण रेखा पर हुई झड़पों में इस कमी को स्पष्ट देखा गया। गौरतलब है कि 126 लड़ाकू जेट की खरीद की सैद्धांतिक मंजूरी वर्ष 2001 में ही दे दी गई थी।

राफेल सौदे पर राहुल गांधी का हमला झूठ पर आधारित है और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे झूठ बोले हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया कि राफेल सौदे में कोई इंडो-फ्रेंच सीक्रेसी क्लॉज नहीं था, लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा इसका खंडन किया गया था। फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दासौ पर अनिल अंबानी के साथ अनुबंध करने का दबाव डाला जिसे दासौ एविएशन ने नकार दिया। संसद में उन्होंने एक नकली ऑडियो टेप भी पेश किया और जब उनसे इसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसे वापस ले लिया। इस सूची के नवीनतम आरोप, राहुल गांधी ने स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के साथ अपनी बातचीत के हवाले से लगाया, जबकि तथ्य यह है कि उस बैठक के दौरान ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी।

मूल्य निर्धारण पर बार-बार सवाल उठाने का प्रयास किया गया है। मूल्य निर्धारण के बारे में आंकड़े लगभग हर रक्षा रिपोर्टर द्वारा लंबे समय से बताए जा रहे हैं। इसके एक बुनियादी विमान का मौजूदा समायोजित मूल्य 737 करोड़ रुपये होता, जबकि मोदी सरकार के सौदे के तहत यह कीमत 650 करोड़ रुपये है। रक्षा मंत्रालय ने बार-बार इस बात को कहा कि विमानों की कुल लागत और संख्या को पहले से ही सार्वजनिक किया जा चुका है, लेकिन उपकरणों और उनके मूल्यों का विवरण गोपनीय रखा गया है जो वर्ष 2008 के भारत-फ्रांस सुरक्षा समझौते के अंतर्गत आता है। इन विमानों के साथ आने वाले हथियारों और गोला बारूद का खुलासा करना, देश की सुरक्षा के हित में नहीं है।

कांग्रेस राफेल सौदे के ऑफसेट धारा पर भी जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि इस धारा के तहत खरीद, प्रति भुगतान पर आधारित है और इसके कई उत्पादों को लिया जा सकता है। यह केवल राफेल स्पेयर पार्ट्स के लिए नहीं है। अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को दिवालियेपन के मुद्दे पर एक आसान शिकार बनाया जा रहा, जबकि दासौ के ऑफसेट भागीदारों की संख्या 120 है। याद करिए कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने अनिल अंबानी समूह को अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के तहत केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए आवंटित खदानों से कोयला बाहर बेचने की अनुमति दे दी थी। यह अपवाद केवल उसके लिए किया गया था।

> राफेल सौदे से संबंधित सवालों का जवाब संसद में दिया जा चुका है, फिर भी कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं

राफेल सौदे से संबंधित पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीलबंद कवर में दिया गया। यह भी बताया गया कि सौदे से संबंधित सभी फाइल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उपलब्ध करवाई गई है और कैग रिपोर्ट को संसदीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। मूल्य निर्धारण और अन्य नियमों एवं शर्तों को देखने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि खरीद की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया और इस संबंध में जांच की मांग को भी खारिज कर दिया था। इस मामले में दायर की गई समीक्षा याचिकाओं पर भी ऐसा ही फैसला आने की उम्मीद है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट दे दी है।

हाल ही में एक समाचारपत्र में छपी खबर में उन तथ्यों का जिक्र किया गया जो आधिकारिक राफेल फाइल का हिस्सा भी नहीं हैं। सरकार द्वारा एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया। पूछा जा रहा है कि केवल 36 जेट क्यों, पर सरकार ने अतिरिक्त राफेल के विकल्प को कब बंद किया? आरोप यह भी है कि सरकार ने यूरोफाइटर कंपनी के नए प्रस्ताव पर गौर क्यों नहीं किया है। इस बाबत सरकार ने कहा है कि उस समय नए प्रस्ताव पर गौर करना 2016 की रक्षा खरीद नीति के तहत अस्वीकार्य था और इससे केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन होता।

राफेल सौदे के बारे में बहुत शोर मचाया जा रहा है कि इस सौदा की स्वीकृति 4-3 के फैसले से हुई है। भारतीय दल के फैसले का स्पष्टीकरण संसद में रक्षा मंत्री ने दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सिविल सेवाओं की परंपराओं के तहत सभी विचारों को प्रस्तुत किया जाता है और विमर्श के बाद ही एक निर्णय लिया जाता है। साथ ही सभी निर्णय रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुसार अंतर-मंत्रालयी परामर्श की प्रक्रिया के बाद लिए गए।

राफेल पर कांग्रेस के अभियान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दो सरकारों के मध्य बातों को एक अंतर सरकारी समझौते की तुलना ऐसी निविदा प्रक्रिया से की जा रही है जो कि अमल में ही नहीं लाई गई। इस सौदे की जांच के लिए कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की मांग की है, जो उचित नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे पर सरकार को क्लीन चिट दे दी है और समीक्षा याचिका कोर्ट के समक्ष लंबित है। कैग की रिपोर्ट पहले से ही संसदीय स्थायी समिति के पास है और वर्तमान में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट भी नहीं है। कांग्रेस और उसके सहयोगी ऐसे किसी भी सबूत को पेश करने में कामयाब नहीं हुए हैं जो इस पूरे सौदे में सरकार की भूमिका को संदेह के घेरे में लाते हों। राफेल सौदे से संबंधित सभी सवालों का जवाब संसद में दिया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस व उसके सहयोगी इस मामले में झूठ बोलकर, जनता को गुमराह कर रहे हैं।

कांग्रेस के संदेहास्पद आचरण से स्पष्ट था कि 2012 में राफेल विमानों के चयन हो जाने के बाद भी नए लड़ाकू विमानों की आपूर्ति का कोई अनुबंध नहीं हो सका। हर एक दिन की देरी हमारी रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही थी।